

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)  
प्रकरण संख्या:- 27/07

दायर दिनांक:- 12.03.2007

जीसीएमएस नं. 2007/00054

उनवान

बाबूलाल पुत्र बसंता जाति जाटव निवासी पावटियान का पुरा तन मण्डावरा तहसील  
हिण्डोन जिला करौली राजस्थान

—वादीगण-12

बनाम

मानसिंह पुत्र सम्पती जाति जाट निवासी मण्डावरा तहसील हिण्डौन जिला करौली  
राज0

—प्रतिवादीगण-10


दावा बाबत घोषणा खातेदारी, तकास्मा एवं स्थायी, निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 25-7-24

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान कारशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण एवं वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण एवं वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद वादीगण एवं वादीगण वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 09.04.2007 से आज दिनांक तक तलवाना में विचाराधीन है। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण एवं वादीगण वकील प्रकरण को आगे चलाने में रूचि नहीं ले रहे है। वादीगण एवं वादीगण वकील द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना की जा रही है। अतः मुकदमा न0 27/07 बाबूलाल बनाम मानसिंह आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत अदम हाजिरी व अदम तकमील/पालना में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को खुले न्यायलय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
(हेमराज गुर्जर)  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन, जिला करौली

